प्रेषक,

संख्या– 1/XXVIII(1)/2016-19/2006 Part 2019

अरूणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा, निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 15 अप्रैल, 2019।

विषयः– राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर के आवासीय एंव अनावासीय भवनों (आडोटोरियम) भवनों के निर्माण के संबंध में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–973/XXVIII(1)/2015-19/2006 दिनांक 31.03.2015, शासनादेश संख्या–400/XXVIII(1)/2019-19/2006 दिनांक 30.03.2019 एंव आपके पत्र संख्या–5086/चि0शि0/12/23/2019 दिनांक 06.03.2019 एंव पत्र संख्या–5188/चि0शि0/12/23/2019 दिनांक 13.03.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु **टी0ए0सी0 वित्त एवं व्यय वित्त समिति** द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यापूर्ण/संस्तुत धनराशि रू0 7196.62 लाख एंव अधिप्राप्ति हेतु धनराशि रू0 768.06 लाख इस प्रकार कुल **रू0 7964.68 लाख (रू0 उनहतर करोड़ चौसठ लाख अडसठ हजार मात्र)** की धनराशि के सापेक्ष अब तक अवमुक्त धनराशि रू0 7864.68 लाख को सम्मिलित करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर की स्थापना मानक मद संख्या 4210–03–105–03–24 में प्राविधानित धनराशि रू0 1.00 करोड के सापेक्ष राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर आवासीय एंव अनावासीय भवनों (आडोटोरियम) भवनों के निर्माण हेतु अवशेष कुल **धनराशि ₹ 1.00 करोड (₹ एक करोड़ मात्र)** की चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 की संगत मद में वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष इतनी ही धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i- प्रश्नगत कार्य का सिविल कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करा लिया जायेगा एंव समय से कार्य पूर्ण कराने का समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग का होगा।

ii- संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा अर्जित ब्याज कोषागार में जमा कराते हुये वित्त विभाग को भी अवगत कराया जायेगा।

iii- निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य पूर्ण हो चुका है।

iv- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 में निहित व्यवस्था/प्राविधानों एवं क्रय के संबंध में समय–समय पर निर्गत समस्त नियमो/शासनादेशों एंव तद्विषयक अन्य प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

v- निदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा समय–समय पर निर्माण कार्यों की प्रगति से शासन को भी अवगत कराया जाय।

vi- निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य पूर्ण हो चुका है।

vii- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के 'शासनादेश संख्या–973/XXVIII(1)/2015-19/2006 दिनांक 31.03.2015, में उल्लिखित शर्त/प्रतिबंध यथावत रहेंगे।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–03–राजकीय मेडिकल कालेज श्रीनगर की स्थापना के मानक मद– 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शा0 सं0–254/3(150)XXVII (1)/2019 दिनांक 29.03.2019 में उल्लिखित दिशा निर्देश के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

4– उक्त स्वीकृति की कम्प्यूटर एलोटमेन्ट आई0डी0 संलग्न है।

संलग्न–यथोक्त

भवदीय,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या 458/**XXVIII(1)/2019-19/2006** तद्दिनांकित। Part-II

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर गढ़वाल।
7. महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, श्रीनगर इकाई, श्रीनगर गढ़वाल।
9. बजट प्रकोष्ट, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।